प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 28 जून ,2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये रूपये 29940.00 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-707/ अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **:-**वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये रूपये 29940.00 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये दो हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जून, 2021 में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत का आहरण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु किया जायेगा।

4- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-190- सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता-03-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0-0301- आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पी0एफ0सी0 एवं आर0ई0सी0 से प्राप्त किये गये रूपये 20940 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 266 -दस-2021 2022, दिनांक 25 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

<u>संख्या- 71 /2021/822(1)/24-1-2021, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in